कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, शिक्षा सीकर

ः कार्यालय आदेश ः

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक– शिविरा–मा. / संस्था / एफ – 1 / 12102(203) / सी.भ. / पीटीआई / 2021 – 22 दिनांक 02.09.2023 की अनुपालना में नियुक्ति एवं पदस्थापन प्रदान करने हेतू इस कार्यालय को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों को शारीरिक शिक्षा अध्यापक(NON-TSP)के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अन्तर्गत लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमान्सार नियत मानदेय (Fixed Remuneration)23700/— रू. प्रतिमाह / विद्यमान (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर प्रशासनिक सुधार (अन्.—3) विभाग, राजस्थान का परिपत्र दिनांक 18.05.2020, शासन का पत्र दिनांक 27.08.2021 एवं श्रीमान निदेशक माशि राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 18.04.2022 के अनुसरण में दिनांक 09.09.2023 को आयोजित परामर्श शिविर में इनके द्वारा दिये गये विकल्प / सहमति पत्र के आधार परएवं श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा—माध्य / संस्था / एफ–1 / 12102(203) / सी.भ. / पीटीआई / 2021–22 दिनांक 08.10.2023 द्वारा इनके दस्तावेजों की <u>Genuine रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण</u>सलग्न सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है ।

- 1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (Fixed Remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- 2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जाएंगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- 4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकरिमक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(९)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा एवं श्रीमान वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के संशोधित आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/स्थिरी—अ/34848/2017 दिनांक 04.09.2019 के अनुसार शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकरिमक अवकाश के लिए कलैण्डर वर्ष 01 जुलाई से 30 जुन तक रहेगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगें :--

- नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें, इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेत् यह आवश्यक नहीं होगा।
- िजन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें एवं उक्त के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु इस कार्यालय को अवगत करावें।
- किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने / के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संबंधित संस्था प्रधान के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
- सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7(1)डीओपी /ए—ा। / 95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/— रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
- विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ हैं, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक / क–2 / 06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक पं. 7(13)कार्मिक/क–2/23 जयपुर, दिनांक 11.05. 2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा अपने पद के कर्तवयों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने संबंधी एवं धूम्रपान / मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
- 7. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण किये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तूरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
- इस कायालय को भिजवायेंगे।
 नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50 रियुक्ति नीन ज्यूडिशियन का शपथ पत्र प्राप्त करेगें कि, यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिकाः/जाहोक्काराक्रेरपंज्य Syler shramukuna हो व

RajKaj Ref Non: 4870660



- 10. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने चयन बोर्ड की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें।
- 11. चयनित आशार्थियों के पदस्थापन कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करने के उपरान्त विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण करावें, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर तत्समय इस कार्यालय स्पष्ट टिप्पणी सहित सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करे। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जावेगी।
- 12. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ''अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है ,अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति कीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना मिजवाई जावे।
- 13. आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण–पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम प्रमाण–पत्र माता / पिता की आय के आधार पर जारी किया हआ होना चाहिए। राजस्थान राज्य से बाहर अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।
- 14. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावें ।
- 15. कार्यग्रहण कराने से पूर्व यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही राजस्थान राज्य सेवा में कार्यरत है तो पूर्व नियुक्ति अधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करावें एवं अनापत्ति प्रमाण—पत्र में अंकित शर्तों की पालना स्निश्चित करें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30.10.2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्था प्रधान इनको शाला दर्पण पर काउंसलिंग ऑप्शन के माध्यम से ऑनलाईन कार्यग्रहण करवाकर इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को मिजवाने की व्यवस्था की जावे।

सलंग्न:- आदेश संख्या-06

(शीशराम कुलहरि) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, शिक्षा सीकर दिनांक :—09.10.2023

क्रमांक :— जिशिअ / मु0—माध्य / सी / संस्था—1 / पीटीआई भर्ती—2022 / 2023 / **06** प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

- 1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3. श्रीमान शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 4. श्रीमान शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 5. श्रीमान सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
- 6. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- 7. श्रीमान संयुक्त निदेशक (स्कूल–शिक्षा) चूरू संभाग चूरू।
- 8. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, सीकरं।
- 9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा सीकर।
- 10. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला -सीकर।
- 11. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, को उपलब्ध करवा दिये जायेगें। अतः आप अपने संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे।
- 12. सम्बन्धित अभ्यर्थी......। (पंजीकृत डाक द्वारा)
- 13. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
- 14. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेत्
- 15. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी

Signature प्रशासिक भीकर

Digitally signed by Sheashram Kulhari Designation District Education Officer

Date: 2023.10.89 03:32:13 IST

Reason: Approved



RajKaj Ref No.: 4870660

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सीकर पदस्थापन सूची

क्रमांक :- जिशिअ / मु0-माध्य / सी / संस्था-1 / पीटीआई भर्ती-2022 / 2023 / 06

आदेश संख्या- 06

दिनांक :- 09.10.2023 शारीरिक शिक्षा अध्यापक

<u> </u>	471 71	91	00						रा।रा।रक ।राबा। अञ्चानक			
SL NO	ROLLNO	NEW RANK	NAME, FNAME Or DOB	ADDRESS	GEN DER	CAT	H_CAT	SEL _CAT	POSTING PLASE	BLOCK	РНОТО	
1	734481	1729	RENUKA BISHNOI/DEVILAL 15-08-1995	WARD NO. OLD 22 NEW 32 NEAR CHHOTA GURUDWARA - District SRI GANGANAGAR	F	OBC	एकल	GEN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KANTEWA (487995)	LAXMAN GARH		
2	732481	1320	MANJU/RAMESH WAR SINGH 05-08-1987	SHIV MANDIR KE PAS VPO JAIRAMPURA - District SIKAR	F	OBC		GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHALYAWAS (219186)	KHANDELA	No.	
3	712231	1369	SANJU/NEMICHAN D 15-05-1995	VPO BATARNAU TEH LAXMANGARH SIKAR District SIKAR	F	OBC		GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SINGODRA (213218)	LAXMAN GARH		
4	707955	1127	HARI RAM/MOHAN LAL 01-07-1992	VPO SHYORANI PO TIDIYASAR NOHAR District HANUMANGARH	М	OBC		GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DADUNDA (213096)	FATEHPUR	(D)	
5	702737	1234	RAMESH KUMAR/AMAR SINGH 15-07-1992	VILL-CHUBKIYA GARH POST- DHIGARLA RAJGARH District CHURU	М	OBC		GEN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SUKHPURA GURARA KHANDELA SIKAR (492114)	KHANDELA	RAMISH KUMAR DOP-2811.2022	
6	746858	1237	AMARIT PAL SINGH/MEHANGA SINGH 05-07-1999	WARD NO 05 VPO- GANESHGARH - District SRI GANGANAGAR	М	OBC		GEN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL JASSUPURA (505434)	DHOD	(D)	
7	708713	1265	ROHITASH THORI/BANWARI LAL THORI 04-02-1995	WARD NO 07 NEAR POLICE STATION RAJIASAR STATION District SRI GANGANAGAR	М	OBC		GEN	SHAHEED DUNGAR SINGH SHEKHAWAT GSSS KUMAS JAGIR LAXMANGARH SIKAR	NECHWA		
8	700367	3427	MUKESH BALAI/SETHI RAM BALAI 01-01-1988	WARD NO26 NEW COLONY - District SIKAR	М	SC		SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SALWADI (226983)	KHANDELA		

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सीकर

Signature yalid

Digitally signed by Shershram Kulhari Designation District Education Officer

Date: 2023.10.89 08:32:13 IST Reason: Approved



RajKaj Ref No.: 4870660